

**Conversion of Khurdivadi-Pandharpur  
Section into Broad Gauge (South  
Central Railway)**

1391. SHRI S. R. DAMANI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the survey of the Khurdivadi-Pandharpur, narrow gauge section, has been completed with a view to its conversion into broad gauge; and

(b) if so, its findings and when the conversion work will be taken up ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) Yes.

(b) According to the Survey Report, the conversion will not yield any return on the net investment of Rs 4.25 crores being the estimated cost of conversion. However, the Survey Report is at present under examination of the Railway Board. A decision regarding the conversion of this section will be taken after the examination is completed from all angles.

**Repairing of Railway Track damaged  
by recent Cyclone in Orissa**

1392. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the damage caused to the Railway track and properties in Orissa by the recent cyclone has been fully repaired; and

(b) the extent of damage and the estimated loss to the Railways ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) Yes.

(b) Bank slips occurred in Contai Road Nilgiri Road section of Kharagpur Division. Damages to Telegraph and Telephone communication, signals, electrical installations and roofs of Railway buildings occurred in Bhadrak-Cuttack sections of Khurda Road Division of the South Eastern Railway. The total estimated loss is approximately Rs. 6 lakhs.

**दक्षिण रेलवे में हिन्दी का प्रयोग**

1393. श्री रामचन्द्र बिकल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में हिन्दी की उपेक्षा की जा रही है और फलस्वरूप रेलवे टिकटों, रेलवे स्टेशनों और रेलवे कोचों पर क्षेत्रीय भाषा के साथ हिन्दी के नामों का प्रयोग नहीं किया जाता है; और

(ख) यदि हाँ तो हिन्दी के नामों का प्रयोग वहाँ कब से आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के. हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**CALLING ATTENTION TO MATTER  
OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE**

ATTACK ON THE TIMES OF INDIA OFFICE  
BY FOLLOWERS OF DIVINE LIGHT MISSION

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर ध्यान दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि गृह मंत्री महोदय इस बारे में एक वक्तव्य दें।

“डिवाइन लाइट मिशन के 500 अनुयायियों द्वारा 18 नवम्बर, 1971 को टाइम्स आफ इण्डिया, नई दिल्ली, के कार्यालय पर आक्रमण और उसके परिणामस्वरूप सम्पत्ति की भारी क्षति, एक कान्टेबल की मृत्यु और कई अन्य व्यक्तियों के गम्भीर रूप से घायल हो जाने के समाचार।”

SHRI R. S. PANDEY (Rajnandgaon) : On a point of information. I had also sent a notice. What has happened to that ? I wanted proper inquiry to be made.

MR. SPEAKER : Do not ask me in the House.

THE MINISTER OF STATE IN THE  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI

K C PANT) On the 18th November about 500 followers of one Divine Light Mission staged a demonstration outside the Times of India building in New Delhi. The demonstrators resented the publication of an alleged incorrect report in the Nav Bharat Times about the Head of their Mission on the 11th November, through the Newspaper had on the 13th its 11 published an explanation on behalf of the Mission. When the demonstrators assembled before the building, a Member of the Editorial staff of the paper agreed to meet their representatives. However, the demonstrators suddenly became riotous and started pelting stones at the building and the police men who had sought to prevent the entry of the demonstrators into the building. To disperse the riotous mob police had to use tear-gas. In the course of these incidents 9 policemen and 5 employees of the Times of India Press were injured. One of the injured policemen, a CRP constable subsequently died in hospital. Some damage was also caused to the building and some of the demonstrators sustained minor injuries. A case has been registered in connection with these incidents and is being investigated according to law. 17 demonstrators were arrested on the spot. A sum of Rs. 2500/- has been sanctioned to the family of the deceased constable for immediate relief.

SHRI R S PANDEY Have those who have been arrested been released on bail ?

श्री शशि भूषण : अध्यक्ष महोदय, बाल-यंगी श्री हंस जब भी यहाँ दिल्ली शहर में पधारते हैं तो हजारों और लाखों आदमी उन को देखने के लिए जाते हैं। आज से पांच साल पहले भी वह 13 साल के थे और आज भी वह 13 साल के ही हैं। जब भी वह यहाँ शहर में आते हैं तो हजारों अनगिनत पोस्टर्स शहर में लगे हुए हमें चारों तरफ दिखाई देते हैं। अभी हाल में वह एक जम्बो जेट विमान भ्रमरीया से भरकर यहाँ लाये हैं और उनके यहाँ दिल्ली में पधारने पर हवाई अड्डे पर उनका बड़ा स्वागत सत्कार हुआ था। अब यह पता नहीं है कि उस जम्बो जेट विमान का किराया कितने

दिया ? वैसे यह डिवाइन लाइट मिशन का नाम बड़ा सुन्दर है। यह बालयोगी जी अपने को ब्रह्मचारी तो कहते हैं। साथ ही साथ वह अपने को ईश्वर का अवतार भी कहते हैं। राम व कृष्ण के बारे में भी वह कहते हैं कि उनमें भी कुछ कमियाँ थी लेकिन स्वयं अपने को यह शुद्ध अवतार कहते हैं। कलियुग में इनके पिता जी भी अपने को अवतार कहते थे लेकिन मालूम देता है कि बहुत दिनों तक प्रयत्न करने के बावजूद जब वह पूरा अवतार नहीं बन सके तो फिर अपने पुत्र को पूर्ण अवतार बनाने के लिए सारे देश में उन्होंने भ्रमण व प्रचार कार्य किया है ने शास्त्राण् उगई है। आखिर उनको इतना पैसा कहा से मिला है यह मेरी समझ में नहीं आता है।

पिछले दिनों नवभारत टाइम्स पर जाकर इनके धार्मिक चेहरे न अखबार के कार्यालय पर हमला किया और उस हमले में मोहम्मद लतीफ नाम का एक कान्सटेबल शहीद हुआ। उसके आश्रित परिवार वालों को आपने पैसा दिया लेकिन वह बहुत थोड़ा दिया गया है। टाइम्स आफ इण्डिया के कमचारी एक गरीब चौकीदार की बुरी हालत है बाकी भी जो घायल अस्पताल में पड़े हैं उनको भी आप अधिक से अधिक सहायता देंगे ऐसी मुझे आशा है लेकिन एक बात मैं जरूर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह डिवाइन लाइट मिशन की जाच सी० वी० आई० के जरिए कराई जाय कि इनको यह लाखों और करोड़ों रुपया कहा से आता है ? आज जब कि हम लोगों के लिए एक-एक मीटिंग करना मुश्किल होता है यह इस तरह से इडिया गेट व रामलीला मदान में लगातार महीनों जलसे करते हैं और प्रचारार्थ लाखों पोस्टर्स लगाते हैं। पता नहीं इतनी भारी सख्या में इन्हें यह अभिभक्त अनुयायी भी कहा से मिल जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपया इस डिवाइन लाइट मिशन को कहा से मिलता है ? मैं चाहता हूँ कि क्या सी० आई० ए० के द्वारा यह मिशन तो नहीं

चलाया गया है ? सी० बी० आई० से इसके बारे में पूरी तरह से जांच कराई जाय और उसकी रिपोर्ट को सदन की मेज पर रक्खा जाय। इसकी जांच कराई जाय कि वह सी० आई० ए० के द्वारा परिचालित है या नहीं ?

इस हमले के फलस्वरूप इन के जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको इसके लिए उकसाने के पीछे जिन लोगों का हाथ है उन बड़ बड़े धनाढ्य लोगों को भी सरकार द्वारा गिरफ्तार किया जाय जिन्होंने कि उन लोगों को वहाँ कार्यालय पर हमले के लिए भेजा था। इसके अलावा बालयोगी की भी सेवा किस प्रकार की जाती है उसे भी हम देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस पर कुछ रोशनी डालें।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अध्यक्ष जी, मैं समझा नहीं कि आखिर मैं उनकी किस बात पर रोशनी डालूँ। माननीय सदस्य ने स्वयं बहुत रोशनी डाली है और कुछ सूचनाएँ दी हैं। उन्होंने मुझसे कोई सूचना नहीं माँगी है।

श्री शशि भूषण : मैंने यह सूचना माँगी है कि डिवाइन लाइट मिशन सी० आई० ए० के द्वारा फाइनेंस है या नहीं इस बात की जांच सी० बी० आई० के द्वारा कराई जाय। इसकी जांच कराई जाय कि मिशन के पाम यह करोड़ों रुपया कहा से आता है ? मैंने यह माग की है कि जो सिपाही मारा गया है उसके आश्रित परिवार वालों को कम पैसा मिला है इसलिए सरकार उनको अधिक आर्थिक सहायता दे। मैंने यह भी माग की है कि जो चौकीदार अस्पताल में है उसको भी सरकार मदद दे। यह पांच सात सवाल मैंने मंत्री जी से पूछे हैं...

श्री राम सहाय पांडे : बालयोगी जी की जन्मकुण्डली देखी जाय कि उनकी दरअसल उम्र क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। शशि

भूषण जी की मार्गे मंत्री महोदय ने सुन ली हैं उन्हें नोट कर लिया जाय।

श्री शशि भूषण अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न किया है कि यह डिवाइन लाइट मिशन सी० आई० ए० द्वारा फाइनेंस होता है या नहीं और इसकी सी० बी० आई० के द्वारा जो मैंने जांच की माग की है वह भी एक प्रश्न है। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि यह विदेशी लोग इनको पैसा देते हैं या नहीं ? वह बालिग है या नहीं यह भी एक सीधा सा प्रश्न है ?

श्री राम सहाय पांडे अध्यक्ष महोदय, यह पता नहीं कि बालयोगी जिन्हें कहा जाता है वह बालिग है या अभी तक नाबालिग है ?

अध्यक्ष महोदय पांडे जी इस तरह से बीच में मत बोलें।

श्री राम सहाय पांडे : यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य ने जो जांच का मुद्दा दिया है उस पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय श्री अटल बिहारी वाजपेयी।

श्री स० भो० बनर्जी (कानपुर) : सीधा जवाब देने से मंत्री महोदय घबराते हैं क्योंकि उसमें उनके शीशे भी टटेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कोई और बात होगी ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : किसी समाचार पत्र के विरुद्ध हिंसात्मक प्रदर्शन यह लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है और इस प्रवृत्ति को निरुत्साहित किया जाना चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात है कि मंत्री महोदय ने इस तथ्य पर प्रकाश नहीं डाला कि पुलिस और प्रशासन प्रदर्शनकारियों को इस से पूर्व कि वह हिंसात्मक होते तत्पर-बितर करने में कामयाब क्यों नहीं हुए ? प्रदर्शन के



[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

बारे से पुलिस को पहले से सूचना थी। मजिस्ट्रेट भी वहाँ मौजूद थे। पुलिस को यह भी मालूम था कि 18 तारीख की घटना के पहले श्री इस मिशन के कुछ पदाधिकारी और नवभारत टाइम्स के सम्मानित पत्रकार नवभारत टाइम्स के दफ्तर में एक विवाद में उलझ गये थे। उस समय कुछ हाथा-पाई भी हुई थी, पुलिस को भी बुलाना पड़ा था। इस घटना की पृष्ठभूमि में जब मिशन ने प्रदर्शन करने का फैसला किया और उसकी सूचना पुलिस को थी, तो क्या पुलिस प्रदर्शनकारियों को नवभारत टाइम्स के दफ्तर तक आने से रोक नहीं सकती थी? जब प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट भवन पर प्रदर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तब वह पटेल चौक से आगे नहीं बढ़ सकते

श्री राम सहाय पांडे : वह त्रिसूल लेकर आये थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप उनसे कहिये कि वह त्रिसूल लेकर ताण्डव न करें।

श्री राम सहाय पांडे : मेरे पास फोटोग्राफ है, वह त्रिसूल लेकर आये थे। गाय का प्रदर्शन हुआ था, महाराज।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजापुर) : गाय तो आपने ले लिया बछड़े के साथ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि पुलिस चाहती तो प्रदर्शनकारियों को अखबार के दफ्तर तक आने से रोक सकती थी। अगर पुलिस चाहती तो उन्हें बहादुरशाह जफर मार्ग पर रख सकती थी। बीच से सड़क रहती, दफ्तर दूर झूलता, पत्थरबाजी की दशा से भी पत्थर दफ्तर तक नहीं जा सकते थे। लेकिन प्रदर्शनकारियों को बड़ा एकत्र होने दिया गया, वे वहाँ उत्तेजनात्मक भाषण करते रहे। नवभारत टाइम्स के सम्माननीय सम्पादक के विरुद्ध, जो अपने सुलझे हुए विचारों और सन्तुलित दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध हैं, अपशब्दों का प्रयोग किया जाता

रहा, यह एलान किया जाता रहा प्रदर्शनकारियों को कि अभी कुछ मत करो, अभी समय बाकी है जब हम इशारा करें तब कुछ करना, अभी दस मिनट रह गये हैं, अभी पांच मिनट रह गये हैं। यह प्रत्यक्ष दर्शियों के बयान है। पुलिस खड़ी देखती थी मजिस्ट्रेट मुंह ताक रहे थे। मंत्री महोदय के पाम इस बात का क्या जवाब है? क्या इसका कारण यह है कि इस मिशन का माथी प्रशासन में बैठे हुए है और उच्च पदाधीन लोग सम्बन्धित हैं? क्या यह सच है कि उन्हीं उच्च पदाधीन व्यक्तियों ने इस मिशन को गत वर्ष इंडिया गेट के पाम अपना समारोह करने की इजाजत दी थी? आज तक इंडिया गेट के पाम किमी को टैट लगा कर भारी भीड़ जम करने की इजाजत नहीं दी गई तब इस मिशन के सम्बन्ध में यह अपवाद क्यों किया गया? किम की वजह से इजाजत दी गई कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या यह भी सच है कि मिशन न चुनाव के समय से सत्तारूढ़ दल का समर्थन किया था इसलिये यह इजाजत दी गई? क्या यह सच है कि बालयोगेश्वर की माता जी को राय बरेली ले जाया गया था और प्रधान मंत्री ने उसमें अपनी सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा था? मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इसका खंडन करें। जब ऊँचे पदों पर बैठे हुए व्यक्ति इस प्रकार के लोगों से सम्बन्ध रखते तब नीचे स्तर पर प्रशासन कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी का पालन करने के अपने मौमिन दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकता।

श्री पन्त नैनीताल गढ़वाल से आते हैं, पहाड़ी जिले से

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त कुमायू से।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गढ़वाल और कुमायू सगे भाई हैं, और यह बालयोगेश्वर भी गढ़वाल की विभूति हैं। क्या मंत्री महोदय के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह इस डिवाइन लाइट मिशन के पदाधिकारियों को इस बात के



लिए तैयार करें कि वह नवभारत टाइम्स पर आक्रमण करने के लिए क्षमा माँगे और नवभारत टाइम्स को भी इस बात के लिए तैयार करें। जब इस आक्रमण के खिलाफ सारा देश उनके साथ है और यह सदन साथ है, हम चाहेंगे कि समाचार-पत्रों को निर्भीक रूप से अपनी बात कहने का मौका दिया जाये। यह स्वतन्त्र समाज है, लोकतन्त्र है कोई भी कह सकता है कि मैं भगवान हूँ और दूसरा व्यक्ति यह भी कह सकता है कि वह भगवान नहीं है, वह पाखंडी है, वह ढोंगी है और लोग अन्ध-श्रद्धा से उसका समर्थन कर रहे हैं। जब तक इस प्रकार के वक्तव्य कानून और व्यवस्था को खतरे में नहीं डालते, किमी की जबान पर लगाम नहीं लगाई जा सकती।

मुझे यत्र भी मालूम है कि नवभारत टाइम्स ने जो कुछ छापा वह एक समाचार-समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर छापा। वह समाचार-समिति एक जिम्मेदार समाचार-समिति है। उन्होंने खण्डन किया, वह भी नवभारत टाइम्स ने छाप दिया, फिर भी प्रदर्शन किया गया, कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई।

मैं समझता हूँ कि आज जब देश में सफ़ाई की गिनी है, हमारी सेनायें सीमा पर खड़ी हैं, देश का ध्यान युद्ध प्रयत्नों की ओर लगाया जाना चाहिये। हम तरह के विवाद केवल हमारे शत्रुओं को प्रमत्त कर सकते हैं। इस लिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय अपने प्रभाव का उपयोग कर के डिवाइन लाइट मिशन के पदाधिकारियों को पश्चाताप प्रकट करने के लिए तैयार करेंगे? फिर नवभारत टाइम्स से अपील की जा सकती है कि वह सारे मामले को समाप्त कर दें।

एक प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूँ। इसमें एक पुलिस के सिपाही की मृत्यु हुई है। क्या मंत्री महोदय के पास कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि किस प्रकार की धोत लगने के मृत्यु हुई?

क्या पत्थर लगा या लाठी के प्रहार अथवा किसी मोटर के ऐक्सिडेंट में सिपाही की मृत्यु हुई? यह बात प्रचारित की जा रही है और मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लें क्योंकि पुलिस के सिपाही की मृत्यु के कारण यह मामला बहुत गम्भीर बन गया है। उस पुलिस के सिपाही की आत्मा की सद्गति के लिए सारा सदन प्रार्थना करेगा और उसके शोक-संतप्त परिवार के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन इसकी तह में जाना जरूरी है। जो प्रश्न मैंने उठाया था कि अगर पुलिस हस्तक्षेप करती तो दफ्तर पर हमला करने से प्रदर्शन-कारियों को रोका जा सकता था और उस बेचारे पुलिस के सिपाही के जीवन की रक्षा की जा सकती थी। क्या उसके बारे में मंत्री महोदय जांच करेंगे, जिमसे पता लग जाय कि मीके पर जो पुलिस के अफसर और मजिस्ट्रेट मौजूद थे उन्होंने समय रहते कार्यवाही क्यों नहीं की? उन्होंने भीड़ को हिंसा करने से पहले क्यों नहीं रोका? उन्होंने भीड़ को वहाँ एकत्र क्यों होने दिया? क्या मंत्री महोदय इस बारे में सदन को जांच का आश्वासन देंगे?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अध्यक्ष महोदय, समाचार-पत्र निर्भीकता से कार्य करे, वह सरकार का भी उद्देश्य है, और जैसा श्री बाजपेयी ने कहा, किसी की जबान पर लगाम नहीं लगानी चाहिये, फ्रीडम आफ स्पीच हो, जब तक कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेता। यह सही है और इसी के साथ-साथ, यह भी सही है कि प्रदर्शन करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जब तक कोई कानून को हाथ में न ले। यह बात सही है कि इसमें पहले मजिस्ट्रेट को सूचना दी गई थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि वह इस तरह का डिमॉन्स्ट्रेशन बहा करेंगे, लेकिन पत्र में यह भी लिखा था कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या वह लिख देते कि वह अशांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे?

श्री कृष्ण चन्द्र वन्त अगर् माननीय सदस्य मुझ से बहे कि शांतिपूर्ण प्रदशन होगा और बाद मे मामला हाय से निकल जाये तो ऐसा भी होता है। ऐसा भी अनुभव है। इसी तरह से यह पत्र उनका आया था। पुलिस वहा मौजूद थी। यह कहना सही नहीं होगा कि पुलिस वहा नहीं थी। उनके घाने से पहले जो कुछ इन्तजाम उनका हो सकता था वह किया था। मजिस्ट्रेट और डी० एस० पी० भी पंद्रह मिनट के अन्दर पहुंच गये। 11 बजे यह लोग जमा हुए और 11-15 पर यह लोग पहुंच गये। उसके बाद जैमा मैने अपने वक्तव्य मे कहा, बात चीत शुरू हुई। पहल उन्होंने कहा कि हम मिलना चाहते हैं एडिटर से। फिर एक असिस्टेंट एडिटर से मिलने की बात हुई। इस पर समझौता भी हुआ कि अच्छा, मिल लेगे। लेकिन इसके पहले कि वह मिलते यह पत्थर-बाजी शुरू हो गई हमला शुरू हो गया। यह बहुत ही निन्दनीय चीज हुई जिसका अंग्रेजी मे रिप्रेहेन्सिबल कहत है और इसम कुछ नुकसान भी हुआ, कुछ लोग घायल भी हुए और एक पुलिस वाला मर भी गया। अब रहा यह कि मजिस्ट्रेट का दो मिनट पहले करना चाहिये था, या दो मिनट बाद करना चाहिये था यह जो मजिस्ट्रेट बहा था, जो पुलिस वहा थी उन के निर्णय की बात हमेशा होती है। परिस्थिति तो वही समझ सकते है, लेकिन पुलिस वालो की तरफ से कोई कोताही नहीं थी। उन्होंने कोशिश करके पहले से तैयारी भी करके जब मामला बढा तो रोकने की पूरी कोशिश की।

माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया कि कई उच्च पदाधिकारियो का सम्बन्ध है, तो मैं नहीं जानता, मेरे पास सूचना नहीं है कि कौन उससे सम्बन्धित है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इंडिया गेट पर समारोह करने के लिए इजाजत किसने दी ?

श्री कृष्ण चन्द्र वन्त : मैं यह जानता हूँ कि इंडिया गेट पर इस साल समारोह करने के

लिए उन्होंने इजाजत मांगी थी, और इसके लिए वह मेरे पास भी भाये थे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी . पिछले साल की बात कीजिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पत पिछले साल की जानकारी मुझको नहीं है। अब की उन्हें इजाजत नहीं दी गई।

प्रधान मंत्री का नाम इसमें जबर्दस्ती माननीय सदस्य ले जाय। मैं नहीं जानता कि कितने लोग उनमें मिलत है और कितने नहीं मिलत है। हजारो आदमी उनसे मिला करते है, और उसके आधार पर उन्होंने एक बात उनके बारे में भी कह दी। मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। (व्यवधान) प्रधान मंत्री को दश के 5 करोड आदमिया का प्राणोर्विद मिता है, किसी एक का नहीं। माननीय सदस्य न कहा है कि यह गड़बड़ मत है। यह जानकारी मुझे उनमें प्राप्त हुई है। उनका धन्यवाद। जहाँ तक पश्चाताप की बात है उनको पश्चाताप है या नहीं, मैं नहीं जानता। माननीय सदस्य का धार्मिक सस्थाओं से कुछ ज्यादा सम्बन्ध रहता है। (व्यवधान) मेरा सम्बन्ध भी हो सकता है। उनका अधिक है। वह उन लोगो से बात चीत करे। अगर उनको किसी पश्चाताप है, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरा काम है कि मैं उन पर कार्यवाही करूँ। मैं आपसे कह सकता हूँ कि जिन्होंने कानून तोडा है, कानून जितनी इजाजत देता है, उनके खिलाफ उतनी कार्यवाही की जायेगी।

जहा तक पुलिसमैन के पोस्टमार्टम का प्रश्न है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने नहीं देखी है। मेरे पास यह सूचना है कि उसके सिर पर चोट लगी थी। वहा सैकड़ो आदमी खडे थे। कई पुलिसमैन को चोट आई, वे घायल हुए और हास्पिटल ले जाये गये। यदि माननीय सदस्य कहते है, तो मैं जरूर इसको

श्री दिखवा लूंगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है।

SHRI S. M. BANERJEE : Let Government take over the Divine Light Mission.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore) : The Minister has taken pains to point out that the police force, including the District Magistrate and the DSP, were present at the spot almost from the very beginning. This adds some point to the question which my hon. friend, Shri Vajpayee, raised. He has not replied to that. I can understand if the police did not get information till quite late and were only able to reach the scene after the trouble began. But since he admits that they were there right from the very beginning and this demonstration, by all newspaper accounts, continued in front of the *Times of India* office for quite a long time—

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : For 3½ hours.

SHRI INDRAJIT GUPTA : for hours, I think—the question remains unanswered as to how is it, as the situation was getting hotter and hotter and it was obvious after a while what the intentions of the demonstrators were, that this big police force with high ranking police officers present on the spot could not take timely action to stop the actual attack and the physical assaults which took place. This question has not been replied to. I feel that there has been dereliction of duty on the part of the police and this matter must be inquired into; otherwise, if they are just to stand by as spectators and watch everything happening, I do not understand what is the protection which people in this country can expect.

Secondly, I would like to know more specifically whether it is a fact that one Shri Tandan—perhaps, he is a leader or one of the leading lights of this Divine Light Mission; I do not know—was present there on the spot and was seen by large numbers of people as being the most active instigator of this mob. He was the one who was rousing them and instigating them to commit violence and so on. This was all going on in the presence of the police. I would like

to know whether among the people who have been arrested this gentleman, Shri Tandan, is there or not. My information is that he has not been arrested. I would like to know why not.

Thirdly, I would like to know whether this Divine Light Mission is a registered body; if so, does it submit any audited accounts?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : It is a registered body.

SHRI INDRAJIT GUPTA : If it is a registered body, it must submit annual accounts, which are duly audited. I want to know whether Government has looked into or propose to look into it because this question is worrying many of our colleagues and worrying me too, as to what is its source of income because ordinary people cannot go on like this spending money as they do.

I also heard from an eye witness about the arrival of this young man, who claims to be an incarnation of God, at Palam airport from abroad on the 7th November in a chartered plane accompanied by a whole lot of his disciples among whom were some foreigners and I am told that a jeep or car was allowed to proceed to the runway up to the plane so that he could board it from there, which is a privilege which is not permitted to most ordinary mortals, and he was specially escorted out of the airport through the special exit and so on. So, obviously he is being treated as a VIP. I do not know whether you, Sir, also had some of these privileges at some time; but certainly ordinary people do not get them.

So, if it is a registered body with duly audited accounts submitted every year, it should not be difficult for the Government to find out what are its sources of income. I would particularly like to know whether foreign sources are involved on a large scale and whether Government will look into this matter to see whether any undesirable sources are behind this whole thing with the object of creating some sort of diversion in our country and doing things which are prejudicial to national integration.





they tried to break the police cordon and started pelting stones at the building and at the policemen. At this stage, the Police used tear-gas. This is the exact sequence of events as it has been reported to me. I would like to place it before the House. This is the reason. As I stated earlier, it was for these policemen and the Magistrate on the spot to take a decision. If the whole thing would have passed off peacefully through a dialogue between the management of the newspaper and some of the demonstrators, I think, the House would have been happy at that result. An attempt was made in that direction. I do not think we should be critical of that attempt to arrange a dialogue between the two. I do not see why we should take objection to it. If the whole thing would have passed off peacefully, we would have been happy.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वन जी को मालूम नहीं है पहले भी चर्चा करने गए थे तो हाथापाई हुई थी और पुलिस बुलाई गई थी। उस की पृष्ठभूमि में नये डायलाग की जरूरत क्या थी ?

SHRI K. C. PANT : They agreed. The management also agreed. But later on this thing did not work out.

As I stated earlier, the subsequent conduct of demonstrators is most reprehensible. No one can excuse it. An attempt was made to settle the matter by talks. This is something which we should not criticise.

About Shri Tandon being arrested, 17 persons arrested on the spot included Shri Tandon, General Secretary of the Mission. I add that these persons were later released on bail. But after the death of the constable, Section 302 of the I.P.C. has been added and fresh orders are being issued for the arrest again.

I just asked my officers whether it is a registered body. It is a registered body. Presumably, it does have audited accounts and the rest of it which a registered body should have.

SHRI INDRAJIT GUPTA Will the

Government examine those accounts ?

SHRI K. C. PANT : As I stated earlier to Shri Shashi Bhushan, this is a suggestion that we will consider. You have also repeated that suggestion.

SHRI INDRAJIT GUPTA : My question was that if the accounts are available, will the Government check up to see whether large amounts of money from abroad are being given to this organisation. They may be from CIA or anybody else.

SHRI K. C. PANT : We are all worried about foreign money coming into this country in any guise. Therefore, if it is necessary, we shall certainly look into it. You leave it to us.

So far as the question of some persons claiming that they are re-incarnation of deity and others objecting to it or disagreeing with it, certainly, I entirely agree with Shri Indrajit Gupta that it is open to any of us to agree or disagree. It is very wrong of anybody to take to violence if any of us chooses to disagree with what somebody else holds.

SHRI H. M. PATEL (Dhandhuka) : The hon. Minister in the statement that he read out gave as little information as possible.

He should have said, right from the outset, precisely what he said after Mr. Vajpayee pointed out what had happened. Only if the manner in which the demonstrators worked at violence was taken note of, we may have had a better understanding of the situation. In fact, even now he has not told us the entire sequence of events. He says that he is satisfied that the Police arrangements were adequate and that the Police acted correctly. How did he come to that conclusion? I agree with him that it must be left to the Magistrate on the spot to decide at what point of time to intervene. But, besides saying that he accepts his judgement, he has nothing more to say. Let us put it this way. He says that there was an attempt at reconciliation. That attempt failed and the crowd was incited to violence. That was obviously visible to the Magistrate as well as to the Police. Both the



Magistrate and the Police were aware of the influence that this Balayogi commanded. When he arrived here on the 7th of November at Palam, there was an enormous crowd that was assembled there. The crowd was so great that passengers as well as visitors were unable to get in to the airport and the Police were powerless to maintain any semblance of law and order. You can say that there was law and order at Palam in the sense that there was no violence. But, there was no order in the sense that the citizens who had the right of access to the airport could not get to the airport. It was the business of the Police to see that the crowd was prevented from obstructing or was organised and not allowed to spread all over the place.

Now, with that experience in front of them, what do they do? The Minister says that they said in their request or in their intimation to the District Magistrate that 'We propose to demonstrate peacefully'. But how could they know that this crowd would not get out of hand? It is the business of the Magistrate and the Police to know at what time the crowd will get out of hand.

By now the Minister and the Government must know that we are encouraging, indeed acquiescing in all manner of violence. There is a spirit of lawlessness spreading in the country. You have students surrounding Vice-Chancellors and beating them up. You have labourers *gheraoing* the management. In the early days when these *gheraos* started, people were indignant about it; that this is not the way in which demonstrations by labour should be permitted. Now, it has been accepted as the order of the day. This is something normal. And this is gradually spreading. Law is then taken in one's own hand. We know from the Jantar Mantar episode, that the parties member of the ruling party takes the law into its own hands. But there is no expression of regret about it. The Prime Minister had only this to say, 'If you had patience for two years, why not wait a little longer?' Undoubtedly, that was the right advice. But something had happened. Then the first word should have been, 'What has happened is reprehensible'. The words the Minister used to-day, 'What has happened is reprehensible', should

have preceded others. This is how the spirit of lawlessness spreads in the country.

I would say that in this case on the basis of what the Minister has himself said there is a case for a closer enquiry into it, how this trouble developed in the way in which it developed, if the Magistrate gave orders for the use of tear-gas, was that order given before the Policeman was murdered and killed, and at what point of time was it given? Once tear-gas was used, the crowd would have dispersed and there would have been no question of any further clash or violence. Some of these matters need to be looked into. The Minister has not been fair with this House in not stating the facts in detail in his statement right at the very outset in regard to this incident and information had to be extracted from him by the way Shri Vajpayee gave certain information. How are we to know what exactly took place? It is for the Minister to have supplied us with full data and all information regarding this incident and I say that he has still not given us the full information. If he had not had the information he could have said, I want more time. Here is a matter which is not happening for the first time.

MR SPEAKER                      What is your question?

SHRI H M PATEL     Sir, my question is this. Will the Minister undertake to go further into the matter to satisfy himself and this House that the police acted adequately? Could he tell us whether the Police could have prevented or could not have prevented policemen from being attacked and the *Times of India* building from being damaged? What kind of action was taken by them once they knew that violence was likely to take place? From what Shri Vajpayee said, it was clear that these people were being incited to violence, and so, was there any adequate police force present on the spot? Could it have prevented this or not? These are the questions to which I would like to get an answer from the hon. Minister.

SHRI K C PANT     I think my hon. friend Shri H. M. Patel was less than fair when he accused me of withholding any



information. I have not withheld any information from the House. The statement in reply to Call Attention Notices I usually keep as brief as possible, consistent with the major facts connected with the accident being brought out. And, whenever supplementaries are put—and they are put—certain other information has got to be given according to the facts available with the Minister. I think I have adhered to that general pattern. First of all, he referred to some lack of order at Palam. Sir, I have no information on that. He also said, the Magistrate should have taken precautions and should have anticipated that the situation could have turned into violence. I agree with him and I think that the Magistrate and the Police in this case did take precautions to meet the situation in case it turned violent. The letter said, that it was a peaceful demonstration. But, nevertheless, they did take precautions as I have said already and they did not merely go by the contents of the letter. He talked about further enquiry. Investigations will be held according to law.

He mentioned certain other matters, what time was the order of using tear-gas issued, in relation to the time when the policemen were injured. All these questions will be gone into in the course of investigations.

He also wanted to know whether the policemen could have prevented the attack on the other policemen. All these matters will be investigated and I should think already if the policemen could have prevented an attack on themselves, they would have done so. You know, Sir, that the House is very often exercised about the Police not exercising sufficient restraint. And Government are often criticised that the police should have exercised greater restraint. If the House assures me that it is not their desire that the police or the Government should be criticised on that account, then certainly I can draw a lesson from that. But so far, usually the criticism has been that the police has not exercised restraint. In this case, they have exercised restraint, and that is also coming in for criticism.

श्री इसहाक साम्मली (अमरोहा) : भाप

कीजिए, आप बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। हाउस ने हमेशा यह कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो अमन तोड़ते हैं, सख्त कार्यवाही की जाय।

انہی اسباق منجھلی (آمرودہ) بیان کیے : آپ مالک اٹلی بات کہہ رہے ہیں  
ماہرین نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف جو امن توڑتے ہیں  
سخت کارروائی کی جائے گی

SHRI H. M. PATEL : This is most unfair, if I may say so. What I had asked for was an inquiry into this incident. The fact that a case has been registered will not bring out full facts and full details of exactly how this thing happened.

MR. SPEAKER : The hon. Minister has already made it clear.

SHRI H. M. PATEL : The fact that there is a general feeling that there is excess of force being used by the police is no reason for saying that when they do not use adequate force, we should not come forward to criticise them...

MR. SPEAKER : If he starts making a counter-statement to what the hon. Minister has made, then there will be no end to it.

The hon. Member has had enough time to say whatever he wanted, and he has said everything.

SHRI H. M. PATEL : This is a matter of great importance. So, please permit me to put this point before you...

MR. SPEAKER : No, no. The hon. Minister has already stated the facts.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, इस वैज्ञानिक युग में दिल्ली की भूमि में इस प्रकार का पाखण्ड और डोंग का प्रदर्शन हो, ये अध्यात्मिक संस्थाएँ और कुछ व्यक्तिगत स्वार्थी लोग पैसा इकट्ठा करने के लिए, इस प्रकार के काम करें, क्या सरकार इसको बरदाश्त करना चाहती है ? जब श्री अक्षय कुमार

[श्री मूलचन्द डागा]

जी और श्री हरिदत्त शर्मा को 10 मिनट के लिए नीचे आने के लिये कहा गया तो क्या सरकार ने इस बात को जांचने की कोशिश की कि बालयोगेश्वर महाराज ने इस की आज्ञा दी है या नहीं? पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी में लिया या नहीं, इसके बारे में इन्वेस्टीगेशन किया या नहीं?

मैं एक बात और बतलाना चाहता हूँ—जब मुहम्मद कलीफ मारा गया और 302 का मुकदमा रजिस्टर हुआ, उसके पहले आपने कागजों में किस किस का नाम लिया, किस-किस को गिरफ्तार किया? जब इन लोगों ने प्रदर्शन किया और दफा 147 वहाँ पर लागू हुई, आम सड़क के ऊपर उन लोगों के भाषण हुए कि हम उन लोगों को नीचे उतारेंगे, उनसे बदला लेंगे, जिन्होंने हमारे भगवान का अनादर किया है, जब इस प्रकार की मीटिंग वहाँ पर हुई तो यह खुद ही अन-लाफुल असेम्बली थी, उस वक्त पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, वह किस बात की इन्तजार में थी? जब इस तरह की अन-लाफुल असेम्बली किसी गलत आर्ग्यूमेंट के लिये फार्म हो जाय तो आपका यह कहना कि वहाँ जाने के बाद उन्होंने एलान किया कि 10 मिनट के लिये नीचे आ जाय और 10 मिनट के पहले ही लोगों ने तोड़ना-फोड़ना शुरू कर दिया, इस प्रकार का जो अध्यात्मिक ठगों का प्रदर्शन हो रहा हो, इसमें जो विश्वास करनेवाले लोग हैं, वे तो दोषी हैं ही, लेकिन यह भी देश के लिए एक कलंक की चीज है कि समाचार-पत्रों या उनके कार्यालयों पर हमले किये जाय, ताकि हमारी स्वाधीनता खतरे में पड़ जाय और वे अपनी बात को स्वतंत्रता से कह सकें।

पुलिस का यह कहना कि उन्होंने बड़ा प्रीम्प्ट एक्शन लिया, मैं समझता हूँ कि यह मंत्री और पुलिस ने कोई प्रीम्प्ट एक्शन नहीं लिया, न यह मालूम करने की कोशिश की कि उनके पास दौलत कहां से आती है, न बाल-

योगेश्वर महाराज से पुलिस ने पूछा, न उनको कस्टडी में लिया, न यह बतलाया कि 302 में किम किस के खिलाफ मुकदमा रजिस्टर किया, न यह बतलाया कि टण्डन महोदय, जो इसके सेक्रेटरी हैं, उनका क्या काम है, उनके एन्टीसिडेंट्स क्या हैं, क्या उन्होंने भगवान प्राप्त कर लिया है, उनकी भी जांच की जाय, क्योंकि इस गड़बड़ में उन्होंने भी बड़ा पाप किया है—ये सारी बातें आपने नहीं की है, इसलिए आपको कुबूल करना चाहिए कि पुलिस ने प्रीम्प्ट एक्शन नहीं लिया, अगर लेती तो यह घटना न होती।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : अन्य बातों का जवाब मैं दे चुका हूँ, लेकिन एक बात माननीय सदस्य ने यह कही है कि इस तरह की संस्थायें अपने देश में बहुत-सा पैसा इकट्ठा करती हैं और सरकार इनको क्यों बरदाश्त करती है—

अध्यक्ष जी, कोई सूचना सरकार को मिले किसी विशेष संस्था के बारे में तो उसको देखा जा सकता है, उस पर जांच हो सकती है लेकिन आमतौर पर अगर कोई ऐसा करे और वह कानून के अन्दर हो, संविधान के अन्दर हो तो सरकार उस पर कैसे कार्यवाही कर सकती है।

श्री बी० पी० मौर्य (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय मैंने भी आपको इसके बारे में एक पत्र लिखा था।

अध्यक्ष महोदय : वह मिला नहीं।

श्री बी० पी० मौर्य : अगर नहीं मिला तो मैं दोषी नहीं हूँ। मैंने अपने हाथ से पत्र लिख-कर आप के पास भेजा है। अगर वह आपको नहीं मिला तो उसके लिये आपका सेक्रेटरीयट दोषी हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : कार्लिंग अटेंशन में आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं।

श्री बी० पी० मौर्य : एक डिवाइन लाइट

मिशन मेरे इलाके में भी है। मैंने आपको पत्र लिखा था।

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ लिखने से ही तो हवाजत नहीं मिल जाएगी।

श्री बी० पी० शर्मा : आपने उत्तर दिया कि मिला नहीं।

अध्यक्ष महोदय : बँक में आपका नाम नहीं आया होगा।

12.53 hrs.

#### PAPERS LAID ON THE TABLE

##### HIGH COURT JUDGES, TRAVELLING ALLOWANCE (AMENDMENT) RULES

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. GOKHALE) : I beg to lay on the Table a copy of the High Court Judges Travelling Allowance (Amendment) Rules, 1971 (Hindi and English versions) Published in Notification No. G. S. R. 1539 in Gazette of India dated the 16th October, 1971 under sub-section (3) of section 24 of the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954. [Placed in Library. See No. LT-1075/71.]

##### DELHI SALES TAX (FIRST AMENDMENT) RULES, CAPITAL ISSUES (APPLICATIONS FOR CONSENT) (AMENDMENT) RULES, ETC.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH) : (1) I beg to relay on the Table a copy of the Delhi Sales Tax (First Amendment) Rules, 1971 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. 4(97)/69 Fin(G) in Delhi Gazette dated the 18th March, 1971 under sub-section (4) of section 26 of the Bengal Finance (Sales Tax) Act, 1941 as in force in the Union territory of Delhi. [Placed in Library. See No. LT-893/71.]

(2) to lay on the Table—

(a) A copy of the Capital Issues (Applications for Consent) (Amendment) Rules, 1971 (Hindi and

English versions) Published in Notification No. S. O. 5181 in Gazette of India dated the 19th November, 1971 under sub-section (2) of section 12 of the Capital Issues (Control) Act, 1947. [Placed in Library. See No. LT-1076/71.]

(b) A copy each of the following documents (Hindi and English versions) under sub-section (8) of section 10 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 :—

(i) Report on the working and activities of the Central Bank of India for the year ended the 31st December, 1970 along with the Accounts and the Auditor's Report thereon.

(ii) Report on the working and activities of the Bank of India for the year ended the 31st December, 1970 along with the Accounts and the Auditor's Report thereon.

(iii) Report on the working and activities of the Punjab National Bank for the year ended the 31st December, 1970 along with the Accounts and Auditor's Report thereon.

(iv) Report on the working and activities of the Bank of Baroda for the year ended the 31st December, 1970 along with the Accounts and the Auditor's Report thereon.

(v) Report on the working and activities of the United Commercial Bank for the year ended the 31st December, 1970 along with the Accounts and the Auditor's Report thereon.

(vi) Report on the working and activities of the Canara Bank for the year ended the 31st December, 1970 along with the Accounts and the Auditor's Report thereon.